



न्यायालय

पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल, मध्यप्रदेश

(नया पुलिस कंट्रोल रूम, चतुर्थ तल, जहांगीराबाद- भोपाल- 462008)

क्र.-पु.आयु./पु.उपा./आसू. सुरक्षा/भोपाल/ आ० 29 /26

दिनांक- 15/09/2026

//आदेश//

(अंतर्गत धारा- 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023)

भोपाल शहर विभिन्न दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है, भोपाल शहर में स्थित विभिन्न सुरक्षा श्रेणी प्राप्त व्हीआईपी एवं यहां स्थित विभिन्न वार्डल इंस्टालेशन की सुरक्षा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। भोपाल शहर में काफी संख्या में व्यक्ति/लोगो का शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार/व्यवसाय के लिए आवागमन बना रहता है एवं कई बार इनकी आड़ में आपराधिक तत्वों का आवागमन एवं निवास भी होता है। जिनका अपराध में संलिप्त रहकर जान-माल के नुकसान होने जैसी स्थिति बनी रहती है। कई बार आतंकवादी एवं कट्टरपंथी संगठन तथा अवैध प्रवासी भी आकर निवास करते हैं। जिसके लिए इस शहर में आने-जाने वाले, अस्थायी निवासरत् व्यक्तियों की जानकारी होना जरूरी है। जिसके लिए भोपाल शहर स्थित आवासों में किराये से एवं पेइंगगेस्ट के रूप में रहने वाले व्यक्तियों तथा यहां पर आवासरत् लोगो के घरों में काम करने वाले नौकर-चाकर, छात्रावास में रह रहे छात्र/छात्राओं एवं अन्य निवास की जगहों पर रहने वाले व्यक्तियों की जानकारी पुलिस प्रशासन को होना आवश्यक है। साथ ही भोपाल शहर में आने जाने वाले मुसाफिरों जो कि शहर के विभिन्न होटल/लॉज/धर्मशाला/रिसोर्ट/ गेस्ट हाउस जैसे प्रतिष्ठानों में ठहरते हैं इनकी जानकारी निर्धारित प्रोफार्मानुसार संधारित की जाना आवश्यक है।

भोपाल शहर की कानून एवं व्यवस्था एवं यहां स्थित विभिन्न महत्वपूर्ण लोकसंपत्तियों तथा मानव जीवन को किसी भी प्रकार से कोई खतरा न हो, इसको रोकने के लिए निम्न कार्यवाही किया जाना प्रासंगिक है।

अतः मैं संजय कुमार, पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगरीय क्षेत्र भोपाल में निम्नानुसार आदेश जारी करता हूँ:-

1. कोई भी मकान मालिक जो अपना मकान या उसका कोई भाग किराये पर देते हैं तो वह ऐसा करने के एक सप्ताह के भीतर किरायेदार अथवा पेइंगगेस्ट का विवरण निर्धारित प्रारूप में भरकर संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिजन पोर्टल पर आवश्यक रूप से देगे।
2. पूर्व से रह रहे किरायेदार या नौकर का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में भरकर यह आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर में संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिजन पोर्टल पर आवश्यक रूप से देगे।
3. किसी भी व्यक्ति का घरेलू नौकर या उनका सहायक का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिजन पोर्टल पर देगे।
4. होटल/लॉज/धर्मशाला/रिसोर्ट के प्रबंधक/मालिक उनके यहाँ ठहरने वाले व्यक्तियों का व्यक्तिगत विवरण पूर्ण रूप से रजिस्टर में दर्ज करेंगे व इसकी जानकारी निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर जो भी स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया निर्धारित की जाये उस अनुसार देगे।
5. छात्रावास संचालक छात्रावास में रह रहे छात्र/छात्राओं का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर देगे।
6. ठेकेदार/ भवन निर्माणकर्ता निर्माण कार्य में लगे मजदूर/कारीगरों का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर देगे।

7. कोई भी ट्रेवल्स एजेंसी अपने वाहन को किसी को भी किराये पर देने के पूर्व उसकी पहचान की तस्दीक कर लेवें इस पहचान पत्र की छायाप्रति अपने पास संधारित करेंगे एवं आवश्यक पहचान स्थापित होने के बाद ही वाहन दिया जावे।
8. स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये साथ ही उनका आई०डी० प्रूफ भी आवश्यक रूप से लिया जाये।
9. प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी के लिए नियुक्त किए गए गार्ड अथवा अपने स्तर पर नियुक्त किए गये गार्ड की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये साथ ही उनका आई०डी० प्रूफ भी आवश्यक रूप से लिया जाये।
10. ऑनलाईन शॉपिंग के उद्देश्य के लिये या अन्य किसी प्रयोजन के लिये होम डिलीवरी या कुरियर में काम करने वाले या किसी होटल आदि में ऑनलाईन ऑर्डर घर-घर जाकर सप्लाई करने वाली प्रतिष्ठानों के लिए कार्य करने वाले ऐसे व्यक्तियों की सूचना जो डिलवरी करने जाते है संलग्न विहिप प्रारूप में दिए जाकर उनके पहचान से संबंधित दस्तावेज संलग्न दिए जावें।

चूंकि यह आदेश भोपाल शहर में रह रहे प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है अतः आदेश की एक प्रति कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर, नगर निगम कार्यालय, पुलिस थाना एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर चस्पा की जावें एवं सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रानिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से यह आदेश सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है।

यह आदेश जारी दिनांक से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 15/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया।



SANJAY KUMAR
Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2026.09.15
16:33:41 +05'30'

(संजय कुमार भा.पु.से.)
पुलिस आयुक्त
नगरीय पुलिस भोपाल

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, गृह विभाग मंत्रालय।
- 2- कलेक्टर, जिला भोपाल।
- 3- अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था/मुख्यालय एवं अपराध, नगरीय पुलिस भोपाल।
- 4- आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
- 5- आयुक्त, जनसंपर्क भोपाल।
- 6- आयुक्त, नगर निगम भोपाल।
- 7- समस्त पुलिस उपायुक्त/अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त/सहायक पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल।
- 8- केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी/दूरदर्शन भोपाल।
- 9- उप संचालक, संभागीय जनसंपर्क भोपाल।
- 10- समस्त थाना प्रभारी, नगरीय पुलिस भोपाल।
- 11- प्रभारी अधिकारी, पुलिस नियंत्रण कक्ष जहांगीराबाद भोपाल।

SANJAY KUMAR
Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2026.09.15
16:34:05 +05'30'

पुलिस आयुक्त
नगरीय पुलिस भोपाल